(5)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 95 / 2022 दायर दिनांक: 12.08.2022

उनवान

1. रामचन्दर पि. जगन्नाथ जाति मेघवाल नि. सरोनिया तहसील पिडावा

प्रार्थी

बनाम

1. कनीराम पि. भुवानीसिंह जाति सोंधिया नि. हनोतिया रायमल तहसील सुनेल
2. गंगाराम पि. भुवानीसिंह जाति सोंधिया नि. हनोतिया रायमल तहसील सुनेल
3. गुमानसिंह पि. भुवानीसिंह जाति सोंधिया नि. हनोतिया रायमल तहसील सुनेल
4. इन्दरसिंह पि. बालसिंह जाति राजपूत नि. हनोतिया रायमल तहसील सुनेल
5. अनोपसिंह पि. बालसिंह जाति राजपूत नि. हनोतिया रायमल तहसील सुनेल
6. दुर्गेशसिंह पि. अनोपसिंह जाति राजपूत नि. हनोतिया रायमल तहसील सुनेल
7. राजेन्द्रसिंह पि. अनोपसिंह जाति राजपूत नि. हनोतिया रायमल तहसील सुनेल
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार तहसील सुनेल

अप्रार्थीगण

दावा अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :— विद्वान अभिभाषक

प्रार्थी :— श्री नीलकमल त्रिवेदी

अप्रार्थी सं. 1 से. 3 :— श्री कालूराम मेघवाल

अप्रार्थी सं. 4, 5, 6, 7 :— एकतरफा

निर्णय दिनाक : 01.04.2025

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि यह कि ग्राम हनोतिया रायमल पटवार हल्का ढाबलाखींची तहसील सुनेल का खसरा नम्बर 155 में से प्रार्थी [illegible] बीघा भूमि आवंटित होकर प्रार्थी के नाम नामान्तरण [illegible] खातेदारी में दर्ज [illegible] थी प्रार्थी को आवंटित भूमि का नक्शा तरमीम किया जाकर राजस्व नक्शे में एवं राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

रिकार्ड मे प्रार्थी का खसरा नम्बर 397/155 रकबा 3 बीघा दर्ज किया गया था तथा मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त था। यह कि प्रार्थी ग्राम सरोनिया में निवास करता है इसलिए प्रार्थी की भूमि पर अनोपसिंह पिता बालसिंह व इन्दरसिंह पिता बालसिंह, ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था जिस पर प्रार्थी ने न्यायालय तहसीलदार तहसील पिडावा के समक्ष धारा 183 बी का प्रार्थना पत्र पेश कर कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया था न्यायालय तहसीलदार तहसील पिडावा ने दिनांक 14.10.2010 को प्रार्थी के प्रकरण में निर्णय करते हुऐ इन्दरसिंह व अनोपसिंह को बेदखल कर प्रार्थी को उसके खसरा नम्बर 397/155 रकबा 3 बीघा पर कब्जा दिलाये जाने का आदेश हल्का पटवारी ढबलाखीची व भू.अभिलेख निरीक्षक को दिया था जिसकी पालना में भू.अ.नि. एवं हल्का पटवारी ढाबलाखीची ने दिनांक 13.12.2010 को प्रार्थी को मौके पर पहुंच कर कब्जा दिलाया था तब से ही प्रार्थी मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा था। यह कि प्रार्थी को न्यायालय तहसीलदार तहसील पिडावा के आदेश की पालना में खसरा नम्बर 156 के दक्षिण दिशा में स्थित खसरा नम्बर 397/155 पर तत्कालिन हल्का पटवारी भू.अ.नि. ने मौके पर कब्जा दिया था उसी स्थान पर प्रार्थी निरन्तर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है लेकिन सेकरिकेशन के आनलाईन राजस्व नक्शे मे दिनांक 13.12.2010 को तत्कालिन हल्का पटवारी एवं भू.अ.नि. के द्वारा प्रार्थी को खसरा नम्बर 397/155 का स्थान बताया गया था और प्रार्थी काबिज है के स्थान पर वर्तमान राजस्व नक्शे मे खसरा नम्बर 370/155 कर दिया गया है और 370/155 जो कि खसरा नम्बर 163 के दक्षिण मेढ के पास है के स्थान पर प्रार्थी का खसरा नम्बर 397/155 कर दिया गया है जो गलत है क्योकि प्रार्थी को दिनांक 26.05.2016 को खसरा नम्बर 397/155 का नक्शा ट्रेस जारी किया गया है उसका नाप एवं वर्तमान राजस्व नक्शे मे दर्ज खसरा नम्बर 370/155 का नाप बराबर हैं जबकि खसरा नम्बर 370/155 का रकबा तो 0.2150 हैक्टेयर है व खसरा नम्बर 397/155 का वर्तमान रकबा 0.7588 है इसलिए राजस्व नक्शे मे शुद्धि होकर खसरा नम्बर 370/155 के स्थान पर खसरा नम्बर 397/155 इन्द्राज होना चाहिये तथा खसरा नम्बर 397/155 के स्थान पर 370/155 इन्द्राज होना न्यायहित मे आवश्यक है क्योंकि प्रार्थी दिनांक 13.12.2010 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

2

Scanned with OKEN Scanner

ही वर्तमान में राजस्व नक्शे में दर्ज हो रहे खसरा नम्बर 370/155 पर काबिज होकर काश्त कर रहा है इसका कारण यह है कि प्रार्थी का तत्कालिन हल्का पटवारी व भू.अ.नि. के द्वारा कब्जा दिया गया था तब वह भूमि खसरा नम्बर 397/155 की ही थी। यह कि सेकरिकेशन करते समय राजस्व कर्मचारियो के द्वारा प्रार्थी के खसरा नम्बर 397/155 के स्थान पर खसरा नम्बर 370/155 लिख दिया है जो राजस्व कर्मचारियो की भूल है। इसलिए प्रार्थी के खातेदारी के खसरा नम्बर 397/155 को 370/155 के स्थान पर शुद्ध करवाये जाने का अधिकारी है। यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से उचित कोर्ट फीस पर माननीय न्यायालय मे पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व नक्शे मे खसरा नम्बर 370/155 के स्थान पर 397/155 किये जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार सुनेल को किये जाने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से स्वीकारात्मक जवाब पेश किया– यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 1 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 2 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 3 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 4 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 5 स्वीकार है।

3. अप्रार्थी सं. 2 लगायत 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे आदेशिका दिनांक 24.12.2024 के अनुसार उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

4. अप्रार्थी सं. 8 की ओर से पत्रांक राजस्व/2024/285 दिनांक 15.03. 2024 से जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हनोत्या रायमल में ख.नं. 370/155 व 397/155 का संबंधित पटवारी हल्का द्वारा मौका देखा गया। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार मौके पर ख.नं. 156 [illegible]णी मेड से ख.नं. 397/155 लगा हुआ है तथा ख.नं. 370/155, ख.नं. [illegible] की दक्षिणी मेड से लगा हुआ है। जबकि वक्त सैग्रीगेशन व तरमीम सहवन से ख.नं. 397/155 के स्थान पर 370/155 तथा 370/155 के स्थान पर 397/155

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व नक्शे में दर्ज हो गया था। जो कि गलत है। अतः मुताबिक संलग्न नक्शा ट्रेस प्रतिलिपी व रिपोर्ट भू अभि. निरी. सेमला दिनांक 13.12.2010 तथा मौका अनुसार ख.नं. 370/155 के स्थान पर 397/155 किया जाना उचित होगा।

5. अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम हनोतिया रायमल के खाता सं. 131, 33, 9, 10, 35, 23 की जमाबंदी सं. 2076–79 की नकल, नक्शा ट्रेस दिनांक 02.08.2022, नजरी नक्शा दिनांक 26.05.2016, 27.06.2022 तथा खसरा गिरदावरी नकल, पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 21.06.2022 की छायाप्रति, तहसीलदार पिडावा प्रकरण सं. 7/2010 उनवान रामचन्दर बनाम इन्दरसिंह में निर्णय दिनांक 14.10.2010, पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 13.12.2010, ग्राम हनोतिया रायमल के खाता सं. 123 की जमाबंदी सं. 2072–75 की छायाप्रति पेश की।

6. अभिभाषक प्रार्थी, अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 से 3 व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम हनोतिया रायमल पटवार हल्का ढाबलाखीची के मूल ख.नं. 155 में से वर्षो पूर्व प्रार्थी को 3–00 बीघा भूमि आवंटन की जाकर गैरखातेदारी में दर्ज हुई थी जो बाद में विधिवत रूप से खातेदारी में दर्ज की गई। आवंटित भूमि पर प्रार्थी मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा था लेकिन प्रार्थी के अन्य ग्राम सरोनिया में निवास करने से पडौसी खातेदार अनोखसिंह पि. बालसिंह व इन्दरसिंह पि. बालसिंह ने प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया था जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार पिडावा में अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट का वाद पेश किया था। न्यायालय तहसीलदार पिडावा द्वारा प्रार्थी के वाद को स्वीकार कर अपने निर्णय दिनांक 14.10.2010 से अप्रार्थी/प्रतिवादी अनोखसिंह व इन्दरसिंह पि. बालसिंह को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को सौपने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश की पालना में थानाधिकारी सुनेल की उपस्थिति में आईएलआर [illegible] ढाबलाखीची व पटवारी ढाबलाखीची ने वादग्रस्त भूमि पर [illegible] कर प्रार्थी [illegible] कब्जा सौपा था। उस वक्त प्रार्थी को कब्जा ख.नं. [illegible] में सौपा गया था

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

(8)

जहां प्रार्थी आज दिनांक तक कब्जा काश्त है लेकिन सेग्रिगेशन के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा लटठा नक्शे के विरूद्ध तरमीम कर प्रार्थी की भूमि ख. नं. 397/155 के स्थान पर अप्रार्थीगण का ख.नं. 370/155 अंकित कर दिया गया। अभिभाषक प्रार्थी ने आगे तर्क किया कि दिनांक 26.05.2014 को प्राथी के ख.नं. 397/155 का राजस्व कार्मिको ने जो नक्शा ट्रेस जारी किया था उसकी नाप व नक्शा वर्तमान ख.नं. 370/155 के समान है। अतः राजस्व कार्मिको द्वारा सेग्रिगेशन के दौरान नक्शे की तरमीम में त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट में दुरूस्त किये जाने योग्य है। नक्शे में यह त्रुटी वादी द्वारा नहीं की जाकर राजस्व विभाग द्वारा की गई है।

7. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने अभिभाषक वादी की बहस व अनुतोष को स्वीकार किया।

8. पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी के अनुतोष पर सहमति व्यक्त की और ख.नं. 370/155 के स्थान पर ख.नं. 397/155 दर्ज किया जाना उचित बताया एवं तरमीम में सेग्रिगेशन के दौरान त्रुटी होना स्वीकार किया। प्रार्थी का वर्तमान नक्शे के ख.नं. 370/155 पर कब्जा नहीं है। साथ ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट व नजरी नक्शा संलग्न कर नक्शानुसार शुद्धि किया जाना उचित बताया।

9. अभिभाषक प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम हनोतिया रायमल तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2076–79 के अनुसार ख.नं. 397/155 रकबा 0.7588 है. प्रार्थी रामचन्द पि. जगन्नाथ के खाते दर्ज है जबकि ख.नं. 370/155 रकबा 0. 2150 है. अप्रार्थी सं. 1 से 3 व उनकी मां सहायताबाई के खाते दर्ज है। अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी के ख.नं. 397/155 का रकबा ख.नं. 370/155 के रकबे से तीन गुना से अधिक है। अतः राजस्व नक्शे का आकार भी तीन गुना से अधिक होना चाहिए। वर्तमान नक्शे के ख.नं. 370/155 के दक्षिण में लगवा ख.नं. 155 रकबा 0.1138 है. है जो अप्रा[illegible] सं. [illegible]सरकार के खाते दर्ज है। इसी प्रकार ख.नं. 370/155 के उत्तर में ल[illegible] ख.नं. 156 रकबा 4.2113 है. है जो अप्रार्थी सं. 4 से [illegible] है। प्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(7)

पेश वादग्रस्त आराजी के मूल लटठा नक्शा की नकल क्र. 363 दिनांक 06.03.2025 के अनुसार भी ख.नं. 370/155, ख.नं. 155 व 156 के मध्य लगवा स्थित है और ख.नं. 397/155, ख.नं. 163 व 164 के लगवा दक्षिण में स्थित है। इसी प्रकार वर्तमान आनलाईन नक्शा के अनुसार भी ख.नं. 370/155, ख.नं. 155 व 156 के मध्य लगवा स्थित है और ख.नं. 397/155, ख.नं. 163 व 164 के लगवा दक्षिण में स्थित है। अतः स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के सेग्रिगेशन के बाद बने आनलाईन नक्शा एवं मूल लटठा नक्शा में कोई अंतर नही है। मूल लटठा नक्शा में ख.नं. 397/155 व 370/155 की जिस जगह तरमीम हो रखी है उसी अनुरूप सेग्रिगेशन के बाद आनलाईन नक्शे में तरमीम है जिससे सेग्रिगेशन के दौरान राजस्व कार्मिको के द्वारा वादग्रस्त आराजी के नक्शे की तरमीम में कोई त्रुटी किया जाना जाहिर नहीं होता है।

10. मूल लटठा नक्शा एवं वर्तमान आनलाईन नक्शा के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि ख.नं. 370/155 का आकार रकबानुसार छोटा है जबकि ख.नं. 397/155 का आकार रकबानुसार अधिक बडा है। यदि वर्तमान आनलाईन नक्शे में ख.नं. 370/155 के स्थान पर ख.नं. 397/155 को दर्ज किया जावे तो नक्शा का आकार 0.7588 है. के अनुसार नहीं होकर 0.2150 है. के अनुरूप ही रहेगा जो कि विधिवत नहीं होगा।

11. प्रार्थी द्वारा पेश न्यायालय तहसीलदार पिडावा के आदेश दिनांक 14.10.2010 की पालना में सौंपे गए कब्जा की रिपोर्ट दिनांक 13.12.2010 के अनुसार हल्का पटवारी ढाबलाखीची द्वारा मौके पर जाकर प्रार्थी को ख.नं. 397/155 की 3—00 बीघा भूमि पर कब्जा दिये जाने का अंकन है लेकिन रिकार्ड में कही भी यह अंकन नहीं है कि प्रार्थी को मौके पर कब्जा ख.नं. 370/155 के स्थान पर दिया गया था। रिपोर्ट में जिन काश्तकारों के मौके पर उपस्थित होने के हस्ताक्षर अंकित है उनके बयान में प्रार्थी द्वारा इस कोर्ट में दर्ज करवाये गये है। प्रार्थी द्वारा पेश वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट दिनांक 21.06.2022 के अनुसार पटवारी हल्का आकोदिया व पटवारी हल्का ढाबलाखीची द्वारा दिनांक 21.06.2022 को तहसीलदार सुनेल के आदेश दिनांक 14.06.2022 की पालना में ख.नं. 397/155 रकबा 0.7588 है. का सीमाज्ञान प्रार्थी व अप्रार्थी अन्य की उपस्थिति में किया गया। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

10

सीमाज्ञान से प्रार्थी रामचन्दर संतोष नहीं हुआ जबकि अप्रार्थी संतुष्ट हुए। मौके पर कब्जा हस्तानान्तरण की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

12. प्रार्थी द्वारा आवंटन के समय प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि पर दिये गये **दखलनामें की प्रति** भी न्यायालय में पेश नहीं की है जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि प्रार्थी को किस जगह दखल/कब्जा सौपा गया था। **प्रार्थी द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर यह साबित होता हो कि प्रार्थी वर्ष 2010 से मौके पर ख. नं. 397/155 के स्थान पर ख.नं. 370/155 पर कब्जा काश्तरत रहा है।**

13. उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर ग्राम हनोतिया रायमल के खसरा नम्बर ख.नं. 370/155 एवं ख.नं. 397/155 के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरूस्ती तरमीम खारीज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/4/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:44:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner